I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

अनिल कुमार गोप
राजनीति विज्ञान विभाग, बिनोद बिहारी महतों कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड, भारत

Corresponding Author: * अनिल कुमार गोप

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21376653

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाना है। यह अधिनियम केवल रोजगार प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस अध्ययन में मनरेगा की भूमिका, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा ग्रामीण विकास पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान करने, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण तथा कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल संरक्षण, भूमि सुधार, वृक्षारोपण और ग्रामीण संपर्क मार्गों जैसे कार्यों के माध्यम से इस योजना ने सतत ग्रामीण विकास को गति प्रदान की है।

हालांकि, मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी, कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी समस्याएँ जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण, तकनीकी निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में, मनरेगा ग्रामीण भारत के आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-06-2026
- **Accepted:** 13-07-2026
- **Published:** 15-07-2026
- **IJCRM:** 5(4); 2026: 187-191
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

गोप अ. कु. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4):187-191.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: मनरेगा, ग्रामीण विकास, रोजगार गारंटी, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, सतत विकास।

© 2026 अनिल कुमार गोप. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश हैं, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर आधारित हैं। हालांकि, कृषि क्षेत्र में मौसमी रोजगार, प्राकृतिक आपदाएँ, सीमित संसाधन और गरीबी जैसी समस्याएँ लंबे समय से ग्रामीण समाज के विकास में बाधक रही हैं। ऐसे में ग्रामीण गरीबों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की शुरुआत की। यह अधिनियम न केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम हैं, बल्कि ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हैं।

मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रोजगार योजनाओं में से एक हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना हैं। यह अधिनियम ग्रामीण गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।

मनरेगा का परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act – MGNREGA) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005) में पारित किया गया था। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। प्रारंभ में इसे 200 जिलों में लागू किया गया था, बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित कर दिया गया।

इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना हैं। यदि किसी पात्र परिवार को रोजगार नहीं दिया जाता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान हैं।

मनरेगा को अधिकार आधारित कानून माना जाता हैं क्योंकि यह ग्रामीण नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता हैं। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक ऐसा कानून हैं जिसके अंतर्गत सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की गई हैं।

मनरेगा की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP), ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP), जवाहर रोजगार योजना (JRY), रोजगार आश्वासन योजना (EAS) तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) प्रमुख थीं।

हालांकि इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक परिणाम मिले, लेकिन इनमें रोजगार की कानूनी गारंटी नहीं थी। इसके अतिरिक्त योजनाओं का प्रभाव सीमित था तथा लाभार्थियों तक संसाधनों का समुचित वितरण नहीं हो पाता था।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी को देखते हुए रोजगार को कानूनी अधिकार का स्वरूप देने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सोच के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसे बाद में महात्मा गांधी के सम्मान में महात्मा गांधीराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया।

मनरेगा के उद्देश्य

मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. रोजगार की गारंटी प्रदान करना

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य हैं।

2. ग्रामीण गरीबी का उन्मूल

नियमित आय के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा गरीबी को कम करना।

3. ग्रामीण पलायन रोकना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होने से लोगों को शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम पड़ती हैं।

4. महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

5. टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण

जल संरक्षण, सड़क निर्माण, तालाब, नहर, वृक्षारोपण जैसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना।

6. सामाजिक समावेशन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना।

7. पर्यावरण संरक्षण

जल संरक्षण, भूमि सुधार और वृक्षारोपण जैसे कार्यों के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना।

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ

1. कानूनी अधिकार

मनरेगा रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी देता हैं।

2. जॉब कार्ड

योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता हैं। यह रोजगार प्राप्त करने का मुख्य दस्तावेज हैं।

3. 100 दिनों का रोजगार

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाता हैं।

4. बेरोजगारी भत्ता

यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो संबंधित व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होता हैं।

5. महिला सहभागिता

योजना में कम से कम एक-तिहाई लाभार्थियों का महिला होना अनिवार्य हैं।

6. पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण

योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हैंतु सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया हैं।

7. बैंक खाते में भुगतान

मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खाते में किया जाता हैं।

मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य

मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे

जल संरक्षण एवं संचयन

- तालाब निर्माण, चेक डैम निर्माण, जलाशयों की मरम्मत

© 2026 अनिल कुमार गोप. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

भूमि विकास
- भूमि समतलीकरण, मिट्टी संरक्षण, बंजर भूमि सुधार

सिंचाई सुविधाएँ
- नहर निर्माण, कुओं का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था

वृक्षारोपण
- सामाजिक वानिकी, सड़क किनारे वृक्षारोपण, वन विकास

ग्रामीण संपर्क मार्ग
- कच्ची सड़कों का निर्माण, ग्रामीण मार्गों की मरम्मत

पशुपालन एवं कृषि विकास
- पशु शेड निर्माण, चारा विकास , कृषि संरचना निर्माण

मनरेगा की कार्यप्रणाली

पंजीकरण

ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत में आवेदन देकर अपना पंजीकरण कराते हैं।

जॉब कार्ड जारी करना

पंजीकरण के बाद परिवार को जॉब कार्ड दिया जाता हैं।

रोजगार हैंतु आवेदन

आवश्यकता होने पर लाभार्थी रोजगार की मांग करता हैं।

कार्य आवंटन

ग्राम पंचायत 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराती हैं।

कार्य निष्पादन

लाभार्थी निर्धारित कार्यस्थल पर कार्य करते हैं।

मजदूरी भुगतान

कार्य पूरा होने के बाद मजदूरी सीधे बैंक खाते में जमा की जाती हैं।
ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका

1. आर्थिक सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को आय का स्थायी स्रोत प्रदान किया हैं। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ी हैं तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ हैं।

1. गरीबी में कमी

योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। मजदूरी से प्राप्त आय के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई हैं।

3. ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास

मनरेगा के अंतर्गत बनाई गई सड़कें, तालाब, नहरें और अन्य परिसंपत्तियाँ ग्रामीण विकास को गति प्रदान करती हैं।

4. कृषि उत्पादन में वृद्धि

सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों के कारण कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ हैं।

5. महिला सशक्तिकरण

मनरेगा में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलती हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी हैं तथा सामाजिक स्थिति मजबूत हुई हैं।

6. सामाजिक समानता

यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं।

7. पलायन में कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होने से शहरों की ओर होने वाले मजबूरी के पलायन में कमी आई हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण में मनरेगा का योगदान

मनरेगा महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिलाएँ पहली बार मजदूरी कार्य में शामिल हुईं और उन्हें अपनी आय प्राप्त हुई।
महिलाओं को मिले लाभ
- आर्थिक आत्मनिर्भरता
- परिवार में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि
- सामाजिक सम्मान में वृद्धि
- बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव
- बचत की आदत का विकास

आज कई राज्यों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं।

कृषि और पर्यावरण पर प्रभाव

मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं।

कृषि पर प्रभाव
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार , भूजल स्तर में सुधार , खेती योग्य भूमि में वृद्धि, फसल उत्पादन में वृद्धि

पर्यावरण पर प्रभाव
- जल संरक्षण, हरित क्षेत्र का विस्तार , भूमि क्षरण में कमी , जैव विविधता संरक्षण

कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा की भूमिका

कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट आए थे। उस समय मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सरकार ने योजना के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया। इससे संकट की स्थिति में लाखों परिवारों को आय का स्रोत प्राप्त हुआ। महामारी के दौरान मनरेगा एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में उभरी और इसने ग्रामीण भारत को आर्थिक संकट से उबरने में सहायता प्रदान की।

मनरेगा की उपलब्धियाँ

करोड़ों परिवारों को रोजगार

© 2026 अनिल कुमार गोप. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. योजना के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं।
2. ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण
3. देशभर में लाखों तालाब, सड़कें, नहरें और जल संरक्षण संरचनाएँ बनाई गई हैं।
4. महिला भागीदारी में वृद्धि
5. महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी हैं।
6. वित्तीय समावेशन
7. लाखों ग्रामीण परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ें हैं।
8. सामाजिक सुरक्षा
9. योजना ने गरीब परिवारों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान की हैं।

मनरेगा के समक्ष चुनौतियाँ

यद्यपि मनरेगा एक सफल योजना रही हैं, फिर भी इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं।

मजदूरी भुगतान में देरी

1. कई बार मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता।
2. भ्रष्टाचार
3. कुछ क्षेत्रों में फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मस्टर रोल और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं।
4. जागरूकता की कमी
5. ग्रामीण लोगों को अपने अधिकारों और योजना की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं होती।
6. कार्यों की गुणवत्ता
7. कुछ स्थानों पर बनाए गए परिसंपत्तियों की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं होती।
8. तकनीकी समस्याएँ
9. डिजिटल भुगतान और आधार आधारित सत्यापन में कभी-कभी तकनीकी बाधाएँ आती हैं।
10. अपर्याप्त कार्य दिवस
11. कुछ विशेषज्ञों का मानना हैं कि 100 दिनों का रोजगार पर्याप्त नहीं हैं और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

मनरेगा को और प्रभावी बनाने के उपाय

- समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाए
- सामाजिक अंकेक्षण को और मजबूत बनाया जाए
- तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाए
- ग्रामीण जनता में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ
- कौशल विकास कार्यक्रमों को मनरेगा से जोड़ा जाए
- कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाए
- परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए
- पंचायतों की क्षमता और जवाबदेही को मजबूत किया जाए

मनरेगा और आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं। जल संरक्षण, कृषि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से यह ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं।

यदि मनरेगा को कृषि, ग्रामीण उद्योग, कौशल विकास और डिजिटल तकनीक के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा जाए, तो यह ग्रामीण विकास की नई संभावनाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक हैं। इसने ग्रामीण गरीबों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया हैं तथा करोड़ों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया हैं। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मनरेगा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा हैं।

यद्यपि योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी इसकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से मनरेगा को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता हैं। यह योजना केवल रोजगार प्रदान करने का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार स्तंभ हैं।

इस प्रकार, मनरेगा ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम हैं, जिसने भारत के लाखों ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य की आशा प्रदान की हैं।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय; 2005।
2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय; 2024।
3. शाह एम, एवं अन्य। मनरेगा समीक्षा: अनुसंधान अध्ययनों का संकलन। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय; 2015।
4. द्रेज जे, खेड़ा आर। रोजगार गारंटी का संघर्ष। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2009।
5. खेड़ा आर। मनरेगा और ग्रामीण विकास। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2011।
6. दत्ता पी, मुर्गई आर, रवैलियन एम, वैन डे वाले डी। क्या मनरेगा रोजगार की गारंटी देता है? वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक; 2012।
7. इम्बर्ट सी, पैप जे। भारत की रोजगार गारंटी योजना के श्रम बाजार पर प्रभाव। लंदन: श्रम अर्थशास्त्र अध्ययन; 2015।
8. आजम एम। मनरेगा का श्रम बाजार परिणामों पर प्रभाव। नई दिल्ली: आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक; 2012।
9. नारायणन एस, दास यू। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव। नई दिल्ली: आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक; 2014।
10. हिरवे आई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से आजीविका सुरक्षा। अहमदाबाद: गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च; 2008।
11. कुमार ए। मनरेगा और ग्रामीण कल्याण। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास अध्ययन जर्नल; 2021।

© 2026 अनिल कुमार गोप. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

12. लोखंडे एन, गुंडिमेडा एच। कोविड-19 काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा की भूमिका। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास अध्ययन; 2021।
13. श्रीनिवास पी। आंध्र प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन और परिसंपत्ति निर्माण। हैदराबाद: ग्रामीण विकास संस्थान; 2016।
14. गुहा ए, मजूमदार जी। मनरेगा लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन। नई दिल्ली: सामाजिक विज्ञान अध्ययन पत्रिका; 2017।
15. कार्तियायनी वीपी एवं अन्य। मनरेगा कार्यक्रम का प्रदर्शन और परिणामों का मूल्यांकन। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय; 2014।
16. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)। मनरेगा संबंधी विभिन्न अध्ययन रिपोर्टें। हैदराबाद: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
17. योजना आयोग, भारत सरकार। मनरेगा मूल्यांकन रिपोर्ट। नई दिल्ली: योजना आयोग, भारत सरकार।
18. विश्व बैंक। परिवर्तनशील भारत में सामाजिक सुरक्षा। वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक; 2011।
19. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)। समावेशी विकास और ग्रामीण रोजगार। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम; 2015।
20. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)। सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण विकास। जिनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; 2018।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

अनिल कुमार गोप राजनीति विज्ञान के विद्वान एवं शोधकर्ता हैं। वे राजनीति विज्ञान विभाग, बिनोद बिहारी महतों कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड, भारत से संबद्ध हैं। उनकी शैक्षणिक एवं शोध रुचियों में भारतीय राजनीति, लोक प्रशासन, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, सार्वजनिक नीति तथा समकालीन राजनीतिक विषयों का अध्ययन और विश्लेषण शामिल है।

© 2026 अनिल कुमार गोप. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/